न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 02/2010

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. भजन सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एम एम धरिंगावाली हाल आबाद चक 81 एन. पी. तहसील पदमपुर(मृतक) 1/1.हरदीप सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख 1/2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख 1/3.मनजीत सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख 1/4.सरजीत सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख 1/5. परमजीत सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख 1/6 सुखराज कौर पुत्री भजन सिंह जाति जटसिख(मृतक) 1/6/1 गुरजोत कौर पुत्र फुम्मन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम एम धरिंगावाली हाल आबाद 81 एनं. पी. तहसील पदमपुर।	1. बलविन्द्र सिंह पुत्र अजायब सिंह(मृतक) 1/1.तेजो उर्फ तेज कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखवीर कौर उर्फ सरजीत कौर पुत्री अजायब सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी हाल चक बोपाराए तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर 4. अंग्रेज कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर। 5. जसमेल कौर पत्नी गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर। 6. अमरजीत कौर पत्नी बाबु सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 25.01.2010

उपस्थितः 1. श्री अशोक जोशी अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मनोज बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

--निर्णय-- **दिनांक :17.05.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता अजायब सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख के नाम चक 2 एम एम धरिंगावाली तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 65 के खाता संख्या 124/121 के मुरब्बा नम्बर 81 की 25 बीघा बारानी भूमि बतौर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अजायब सिंह के द्वारा जीवनपर्यन्त उक्त भूमि की काश्त स्वंय व वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के माध्यम से करवाते रहे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का देहावसान दिनांक 10.01.1985 को चक सागरवाला में हो गया। उनकी मृत्यू के बाद अजायब सिंह के केवल 3 विधिक उतराधिकारी स्वंय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही थे, अन्य कोई उतराधिकारी नहीं था। अजायब सिंह की मृत्यू के उपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को काश्त करते रहे। उक्त भूमि सदैव दोनों के संयुक्त कब्जा काश्त में रही। प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो जाने से वह अपना हिस्सा वादी को मौखिक रूप से काश्त हेतु संभला दी। इस प्रकार भूमि के 2 हिस्सा का कब्जा वादी के पास तथा एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पास सहमति से चला आ रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त दिनांक 27.12. 2009 को सागरवाला में हो गया। जिसके कोई औलाद नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिंह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 1/1 ही वैध उतराधिकारी है। जो बलविन्द्र सिंह के हिस्सा को प्राप्त कर पाने की हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 के मरणोपरान्त जब वादी अपनी उक्त कृषि भूमि की काश्त संभालने गया तो प्रतिवादी संख्या 1/1 व उसके भाईयों ने मुझ वादी को इस जमीन में प्रवेश करने से रोक दिया और कहा कि ये सारी जमीन उसी की है, जो बलविन्द्र सिंह ने धोखे से पटवारी को गुमराह कर अपने नाम दर्ज करवा ली है। वादी दिनांक 07.01. 2009 को पटवारी से आकर मिला, राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया तो वादी ने पाया कि स्वंय बलविन्द्र सिंह ने केवल स्वंय को ही अजायब सिंह का वारिस दर्शाते हुए, अजायब सिंह के नाम की उक्त समस्त कृषि भूमि मिथ्या रूप से दर्ज करवा ली। जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1/1 का चक 2 एम एम धरिंगवली के गलत इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 10.01.1987 को रद करवाकर सभी वारिसान के नाम भूमि दर्ज करवाने का कहा तो वह साफ इन्कार हो गई।

यही वाद कारण है। उक्त नामान्तरण मृतक बलविन्द्र सिंह के द्वारा स्वंय को ही अजायब सिंह का वारिस दर्शा कर दर्ज करवाया गया है। नामान्तरण आरम्भतः शून्य एंव अवैध है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हितो पर प्रभावहीन है। ऐसे अवैध व शून्य नामान्तरण के आधार पर मृतक बलविन्द्र सिंह को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए और ना ही बलविन्द्र सिंह के माध्यम से उसकी वारिस को कोई अधिकार प्राप्त है। अजायब सिंह से विरासतन प्राप्त हुई भूमि में बलविन्द्र सिंह को केवल 1/3 हिस्सा भूमि ही प्राप्त हुई। बलविन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने पर बलविन्द्र सिंह के हिस्सा में आई यह 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादिया तेजकौर को प्राप्त हुई है, 1/3 हिस्सा से अधिक भूमि की तेजकौर हकदार नहीं थी। लेकिन वादाधीन कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 81 के 25 बीघा बारानी भूमि में से अपने हिस्सा से अधिक दौराने दावा 2/3 हिस्सा बारानी भूमि का बेचान कर दिया, जो वाद के लम्बन काल में किया गया अन्तरण होने से प्रारम्भतः शून्य बेचान है। जो वादी एंव अन्य हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 2 के हितों पर बेअसर तथा इस बेचान से खरीददारान को कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः- कि चक 2 एम एम धरिंगावाली के मुरब्बा नम्बर 81 के 25 बीघा भूमि में वादी को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर 1/3 हिस्सा का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1/1 से दिलवाया जावे। व प्रतिवादी संख्या 1/1 के द्वारा दौराने दावा किया गया बेचान प्रारम्भतः शून्य घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 4,5,6 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली उपस्थित आए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी को संशोधित वादपत्र पेश करने की अनुमति दी गई। प्रार्थीगण अंग्रेज कौर आदि की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को दावा में बतौर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 4, 5, 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जवाबदावा के अनुसार मृतक अजायब सिंह को विवादित भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। जो उसकी स्वअर्जित सम्पति थी। अजायब सिंह 30 वर्ष से अपने पुत्र बलविन्द्र सिंह के साथ रहता था। बलविन्द्र सिंह ही अपने बूढे बाप का पालन-पोषण करता था। अजायब सिंह की मृत्यू बलविन्द्र सिंह के घर में हुई। विवादित भूमि को बरवक्त आवंटन से ही अजायब सिंह स्वंय व बलविन्द्र सिंह काश्त करते रहे। अजायब सिंह की मृत्यू के पश्चात अकेला बलविन्द्र सिंह विवादित भूमि को काश्त करता रहा व बलविन्द्र सिंह की मृत्यू के पश्चात बलविन्द्र सिंह की विधवा प्रतिवादी संख्या 1 तेजो उर्फ तेजकौर काश्त करवाती चली आ रही है। तेजो उर्फ तेजकौर विवादित भूमि मुरब्बा नम्बर 81 की खातेदार है। विवादित भूमि में अजायब सिंह की मृत्यू के पश्चात अकेला बलविन्द्र सिंह ही हकदार था। बलविन्द्र सिंह की मृत्यू के पश्चात हक विरासत उसकी विधवा तेजकौर को प्राप्त हुआ। विवादित भूमि को वादी ने आज तक कभी भी काश्त नहीं किया है और वादी को विवादित भूमि पर कोई हक हासिल नहीं है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी तेजो उर्फ तेजकौर का कब्जा वादी की सहमति से न होकर बतौर खातेदार चला आ रहा है। विवादित भूमि में से तेजकौर द्वारा 2/3 हिस्सा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2010 किया जाकर कब्जा क्रेतागण को दिया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा के सद्भावी क्रेतागण है। बेचान दिनांक 27.01.2010 शून्य न होकर विधिवत है। क्रेतागण प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 द्वारा क्रय की गई 2/3 हिस्सा की खातेदार हो चुकी है। दिनांक 27.01.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 6 को न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 27.01.2010 की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण बेचान दिनांक 27.01.2010 को वाद के लम्बन काल में नहीं कहा जा सकता है। अतिरिक्त कथन के अनुसार बलविन्द्र सिंह के पिता अजायब सिंह के नाम चक 16 जी छोटी सागरवाला में करीब 20 बीघा नहरी भूमि थी जो हिन्दु की संयुक्त सम्पति थी। उक्त भूमि का बेचान अजायब सिंह ने बहुत वर्ष पहले तारासिंह सरदारा सिंह निवासी 9 डी डी को कर दिया उसी रकम से अजायब सिंह ने उतरप्रदेश में भूमि क्रय कर ली। इसी दौरान अजायब सिंह व बलविन्द्र सिंह ने संयुक्त परिवार की भूमि का बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में भूमि अकेले

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादी ने बंटवारा में ले ली। कुछ वर्ष के बाद वादी ने उतरप्रदेश की तमाम भूमि विक्रय कर तहसील विजयनगर व अनुपगढ में कृषि भूमि क्रय कर ली। विवादित भूमि के बदले वादी अन्य भूमि क्रय कर काश्त करता चला आ रहा है। इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 10.01.1987 वादी की मौजूदगी में व वादी की सहमति से तेजकौर के पति बलविन्द्र सिंह की सहमति से दर्ज किया गया था। वादी अजायब सिंह से बलविन्द्र सिंह के फौत होने से बहुत अरसा पहले ही अपना हक प्राप्त कर चुका है। इस कारण विवादित भूमि में वादी को कोई हक व हिस्सा नही बनता है। विवादित भूमि पर मृतक बलविन्द्र सिंह व उसकी विधवा का कब्जा लगातार 36 वर्षो से बिना किसी रोक-टोक के चला आ रहा है। इस 36 वर्षो के कब्जा के आधार पर भी विवादित भूमि पर बलविन्द्र सिंह का कब्जा वादी के विरूद्व मुखालफाना के आधार पर तेजो उर्फ तेजकौर को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादी का हक समाप्त हो चुका है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार मृतक अजायब सिंह के 3 वारिस क्रमशः वादी, मृतक बलविन्द्र सिंह एंव प्रतिवादी संख्या 2 थे। अजायब सिंह की मृत्यू निर्वसीयत ही हो गई थी, इसलिए हिन्दू उतराधिकार कानून के तहत उनकी यह कृषि भूमि हम तीनों वारिसान को बहिस्सा बराबर ही प्राप्त हुई तथा इस भूमि की काश्त भी वादी व अपने जीवनकाल तक प्रतिवादी संख्या 1 के पति बलविन्द्र सिंह ही काश्त करते रहे। मुझ प्रतिवादिया के हिस्सा की भूमि का कब्जा काश्त मेरी सहमति से वादी का ही रहा। उक्त भूमि में बलविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा का ही हकदार था। उक्त भूमि के संबध में स्थगन आदेश होने के बावजूद भी मुझ प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा का बेचान विधि विरूद्व दावा के लम्बन काल में कर दिया है। जिससे खरीददार को कोई अधिकार हासिल नहीं होते। मुझ प्रतिवादिया के हिस्सा की हद तक बेचान प्रारम्भतः ही अवैध है। मृतक बलविन्द्र सिंह के द्वारा कूटरचित वारिसनामा के आधार पर दर्ज करवाए गए आरम्भतः शून्य नामान्तरण से कोई हक हासिल नहीं होते। ऐसा शून्य नामान्तरण हम पक्षकारों अधिकारों पर निष्प्रभावी है। प्रतिवादी सख्या 2 भी अपने पिता की उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा की मालिक है। तथा इस आशय की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है तथा भूमि का कब्जा प्राप्त कर पाने की अधिकारी है। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण में निम्न विवाद्यक विरचित किएः-

(A)आया कि वादी चक 2 एम एम के मुरब्बा नम्बर 81 की 25 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि का काश्तकार घोषित करवाकरं कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

(B)आया कि वादी व बलविन्द्र सिंह के पिता अजायब सिंह के नाम गांव 16 जी छोटी में 20 बीघा में भूमि थी, जो संयुक्त परिवार की सम्पति थी। इस सम्पति को अजायब सिंह द्वारा बेचान कर उतरप्रदेश में भूमि क्रय की व उतरप्रदेश की भूमि का बेचान कर विजयनगर व तहसील अनुपगढ में क्रय कर ली। वादी ने अपना हक प्राप्त कर लिया है?

-जिम्मे प्रतिवादी-

(C)आया कि विवादित भूमि पर बलविन्द्र सिंह का 35 वर्षो से कब्जा रहा तथा उसकी मृत्यूके पश्चात उसकी पत्नी का कब्जा है व मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है? -जिम्मे प्रतिवादी-

(D)अनुतोष।

4. अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 65 के खाता संख्या 124/121 की प्रति, प्रदर्श-2 चक 2 एम एम का इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श- 3 चक 2 एम एम का इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 18.11.1977 की प्रमाणित प्रति, अजायब सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिसनामा की छायाप्रतियां, स्वंय वादी भजन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र पत्र पेश किए, जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। साक्ष्य वादी बन्द की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1, 4 ता 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने पैरवी छोड देने पर न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने पैरवी छोडने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

5. हमने बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (A) : आया कि वादी चक 2 एम एम के मुरब्बा नम्बर 81 की 25 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि का काश्तकार घोषित करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 65 के खाता संख्या 124/121 की प्रति प्रदर्श-1, चक 2 एम एम का इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, चक 2 एम एम का इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 18.11.1977 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श- 3, अजायब सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिसनामा की छायाप्रतियां, पेश की। साथ में वादी द्वारा साक्ष्यवादी के दौरान स्वय वादी भजन सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 65 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 2 एम एम के खाता संख्या 124/121 के मुरब्बा नम्बर 81 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6. 325 हेक्टैयर बारानी भूमि बलविन्द्र सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख साकिन सागरवाला के नाम दर्ज थी, जो अजायब सिंह के फौत होने के बाद बलविन्द्र सिंह के नाम विरास्तन इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 से दर्ज हुई है। चक 2 एम एम के इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 18.11.1977 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन में चक 2 एम एम के मुरब्बा नम्बर 81 की सनद खातेदारी अजायब सिंह पुत्र नन्द सिंह के नाम दर्ज हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि अजायब सिंह को प्राप्त भूमि स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती थी। जो जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 से अकेले बलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज हुई है। उक्त विवादित भूमि का सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा जारी दिनांक 02.02.1996 के वारिसान प्रमाण पत्र में अजायब सिंह के तीन विधिक वारिसान होना प्रमाणित किया है। ये तीन विधिक वारिसान हस्तगत वाद में वादी भजन सिंह,

प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुखवीर कौर है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीगंगानगर के मुताबिक अजायब सिंह के विधिक वारिसान भजन सिंह, बलविन्द्र सिंह, सरजीत कौर, सुखवीर कौर दर्शाए गए है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित भूमि अजायब सिंह की स्वअर्जित सम्पति थी और अजायब सिंह की मृत्यू के उपरान्त उनके विधिक वारिसान भूमि बहिस्सा बराबर घोषित करवा पाने के अधिकारी है और बलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 शून्य व अवैध है। जिसे खारिज किया जाना उचित है। अतः यह तनकी आंशिक बहक वादी एंव विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या(B) : आया कि वादी व बलविन्द्र सिंह के पिता अजायब सिंह के नाम गांव 16 जी छोटी में 20 बीघा में भूमि थी, जो संयुक्त परिवार की सम्पति थी। इस सम्पति को अजायब सिंह द्वारा बेचान कर उतरप्रदेश में भूमि क्रय की व उतरप्रदेश की भूमि का बेचान कर विजयनगर व तहसील अनुपगढ में क्रय कर ली। वादी ने अपना हक प्राप्त कर लिया है। ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तनकी को सिद्व करने के लिए अपने जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी व कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए। जिससे उक्त विवाद्यक साबित हो सके। अतः यह तनकी बहक विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या (C): आया कि विवादित भूमि पर बलविन्द्र सिंह का 35 वर्षो से कब्जा रहा तथा उसकी मृत्यूके पश्चात उसकी पत्नी का कब्जा है व मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवायक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तनकी को सिद्व करने के लिए अपने जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी व कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए। जिससे उक्त विवायक साबित हो सके। अतः यह तनकी बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(D)अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकीयात संख्या 1 आंशिक वादी के पक्ष में व तनकीयात संख्या 2, 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

:क्रियात्मक आदेशः-

6. अतः उपर्युक्त विवायकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बाबत घोषणा चक 2 एम एम के इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 को खारिज किया जाकर चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 124/121 के मुरब्बा नम्बर 81 की कुल 6.325 हेक्टैयर बारानी भूमि को मृतक अजायब सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
भजन सिंह आदि बनाम तेजो उर्फ तेज कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 02/2010

निर्णय दिनांक :- 17.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनोज बिश्नोई उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बाबत घोषणा आशिंक स्वीकार किया जाकर चक 2 एम एम के इन्तकाल संख्या 197 दिनांक 28.09.1987 को खारिज किया जाकर चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 124/121 के मुरब्बा नम्बर 81 की कुल 6.325 हेक्टैयर बागनी भूमि को मृतक अजायब सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांकः 17.05.2024

क्रमांकः रीडर/2024/201

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)